

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/ 2841

दिनांक - 13-12-19

प्रार्थीगण
1 लुम्भाराम 2 हंजारीराम 3 अमराराम
पिसरान लाखाराम 4 खेताराम पिसरान
तुलछाराम 5 झमू पत्नी तुलछाराम 6
चूनाराम 7 गोपाराम पिसरान पपाबूराम 8
खेताराम 9 दिनेशकुमार पिसरान 10
सुरेश कुमार पिसरान रेवंताराम 11 मूली
12 भावना 13 मीना पुत्रियान रेवंताराम
14 ईशू पत्नी रेवंताराम प्रार्थी संख्या 12
व 13 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया
माता ईशू जाति माली निवासी सर का
पार, बान्दरा तहसील व जिला बाड़मेर।

वनाम

अप्रार्थीगण

1 कुम्भाराम पुत्र चनणाराम 2 इन्द्राराम 3
निम्बाराम 4 बाबूलाल 5 चुतराराम 6 चेतनराम
पिसरान राणाराम जाति माली निवासी सर का
पार बान्दरा 7 कुसटाराम 8 वीराराम पिसरान
सालगाराम जाति माली निवासी न्यू कवास
जैसलमेर रोड बाड़मेर 9 तुलछाराम पुत्र
वागाराम 10 राजूराम 11 वीराराम 12 किशन
13 अचलाराम पिसरान उदाराम 14 पम्पू पत्नी
निम्बाराम 15 सवाईराम 16 नखताराम पिसरान
निम्बाराम जाति सर का पार बान्दरा 17
बाबूलाल पुत्र देवाराम निवासी बलदेव नगर,
गंगाराम पेट्रोल पम्प के पीछे तहसील व जिला
बाड़मेर 18 तहसीलदार बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 97/2019

दिनांक- 11-12-19

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सर का पार पटवार क्षेत्र बांदरा तहसील व जिला बाड़मेर के
खसरा संख्या 767 रकबा 09.10 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित
करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने
बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की
उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच
सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 13.12-19

क्रमांक :- रीडर/2019/ 2842 - 2845

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बान्दरा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. लुम्भाराम पुत्र लाखाराम वगैराह जाति माली निवासी सर का पार, बान्दरा तहसील व जिला
बाड़मेर।
4. विप्रार्थी कुम्भाराम पुत्र चनणाराम वगैराह जाति माली निवासी सर का पार, बान्दरा तहसील
व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

